रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2003/वैशाख 19, 1925
No. 431] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2003/VAISAKHA 19, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 523(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं0	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाले लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	श्री गायत्री विकास मंडल, पोस्ट मांडवा, तालुका-अंकलेश्वर, जिला-भडौंच, गुजरात-393001.	स्कूल के लिए विस्तार भवन का निर्माण, प्रशासनिक भवन, कंप्यूटर केन्द्र,	निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात केवल

		जिम्नेजियम, संगीत केन्द्र, अतिथि गृह, सड़क निर्माण तथा सचल औषधालय को चलाना ।	तीन वर्षों के लिए 45.00 लाख रू0
2.	गुरू नानक क्विन सेनटेनरी मैमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट, प्लॉट नं0-एस-341, गांधी नगर, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051.	विस्तार भवन का निर्माण, उपस्करों, फर्नीचर की खरीद, भवनों की मरम्मत/नवीनीकरण तथा परियोजना को चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 418.00 लाख रू0 की कार्पसनिधि सहित 547.92 लाख रू0
3.	यूथ मूवमेंट फॉर विलेज डवलपमेंट-वाई एम वी डी, सं0-39 ए, पोन्डाकरा स्ट्रीट, अनंतपुरम 605 201, विल्लूपुरम जिला, तमिलनाडू	समाज के कमजोर वर्ग के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 6.00 लाख रू0
4.	एडवान्स ट्रांसफ्यूजन मैडिसन रिसर्च फाउन्डेशन, प्रथमा ब्लड सेन्टर, बी/एच जीवराज मेहता हास्पिटल, लावाण्य सोसायटी, वसना, अहमदाबाद-380007.	एडवान्सड् ट्रांसफ्यूजन मेडिसन रिसर्च फाउन्डेशन, प्रथमा ब्लड सेन्टर, अहमदाबाद को चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 800.00 लाख रू0 (कार्पस निधि) । तथापि अनुमोदन इस शर्त पर दिया जाएगा कि इसके उत्पादों की आपूर्ति का पचास प्रतिशत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

			के लाभों के लिए प्रभार से मुक्त होगा, कंपनी कार्पस निधि से अलग आय सहित धारा 35 क ग के अंतर्गत प्राप्तियों तथा खर्चों के लिए अलग से लेखा तैयार करेगी, कंपनी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए कार्पस अथवा आय का उपयोग नहीं करेगी, आवधिक ऋणों अथवा इससे प्राप्त ब्याज की अदायगी तथा अंतिम रूप से कंपनी में शेयरों का अंतरण केवल समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।
5.	राष्ट्रोत्थान परिषद, केशव शिल्प, केम्पेगौड़ नगर, बंगलौर-560019, कर्नाटक	स्कूल/अस्पताल भवन, रिहाइसी क्वारटर्स का निर्माण, सड़कों, तरन ताल, स्टेडियम का विकास, आन्तरिक सजावट तथा साज-सज्जा और फर्नीचर आदि की खरीद	निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात केवल दो वर्षों के लिए 670.00 लाख रू0

6.	श्रीमती उत्तरादेवी चेरिटेबल एंड रिसर्च फाउन्डेशन, 2, वैलसले रोड, कोणार्क हाऊस, कैम्प, पूणे-411001.	(क) हास्पिटल भवन का निर्माण, फर्नीचर/फिक्सचर, उपस्करों, दवाइयों की खरीद तथा हास्पिटल को चलाना (ख) गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन का वितरण (ग) गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क हास्पटिल व्यवस्था तथा दवाइयों का वितरण ।	निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 970.74 लाख रू0
7.	उत्थानसतत विकास तथा गरीबी उन्मूलन केन्द्र, 18-ए, आंकलैण्ड रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद-211001	स्कूल भवन, छात्रावास, रिहाइशी क्वारटरों का निर्माण, फर्नीचर, किताबों कंप्यूटरों, लेबोरेटरी उपस्करों की खरीद तथा परियोजना को चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात केवल दो वर्षों के लिए338.00 लाख रू0 की कॉर्पस निधि सहित1800.00 लाख रू0 ।
8.	फुटबाल क्लब, कोचीन-II(एफ सी कोचीन) द्वार सं0 39/2306, वेन्नाला, पो0आ0-कोची-682028, केरल	इंडियन ड्रीम टीम के लिए एफ सी कोचीन फुटबाल अकादमी	निर्धारण वर्ष 2004-2005 अर्थात केवल एक वर्ष के लिए 300.00 लाख रू0

2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं0 8 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 की बाबत एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं0 5 तथा 7 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 की दो वर्षों की अवधि के लिए तथा उक्त सारणी की क्रम सं0 1,2 ,3 ,4 और 6 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 114-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)